178

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एस0एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2661—एक/2016 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 28—07—2016 के द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना प्रकरण कमांक 215/अपील/2013—14.

———

श्रीमती लोंगश्री पत्नी श्री रामबाबू जाटव
निवासी हरिवंश का खोड हाल निवासी
सरोज नगर भिण्ड म0 प्र0

—— आवेदिका

विरूद्ध

1— उदयराज सिंह पुत्र बजरंग सिंह
निवासी ग्राम जोमपुरा तहसील व
जिला भिण्ड म0प्र0
2—रामकिशोर पुत्र जगन्ना प्रसाद
निवासी श्रीराम गली पुरानी बस्ती
भिण्ड म0प्र0
3— निखिल कुमार जैन पुत्र श्री नरेन्द्र कुमार जैन
निवासी अग्रवाल कालोनी अटेर रोड भिण्ड
4— महेश खत्री पुत्र श्याम नारायण खत्री
निवासी हनुमान मंदिर के पास बजरिया
भिण्ड म0प्र0

—— अनावेदकगण

.....

श्री सी0 एम0 गुप्ता, अभिभाषक, आवेदिका
श्री विनोद श्रीवास्तव अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

आदेश

(आज दिनांक 19 —5—2017 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–07–2017 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2– प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि तहसील भिण्ड के ग्राम रतनपुरा में स्थित भूमि सर्वे कमांक 630 रकवा 0.50 है0 अनावेदक कमांक –1 0.17 1/2 है0 अनावेदक कमांक–2 0.10 है0 का अपीलार्थी कमांक–3 की पूर्व स्वत्वधिकारी श्रीमती विमलेश बेवा आनन्द कुमार, शिवम एवं नितिन कुमार पुत्रगण आनन्द कुमार संयुक्त रूप से 0.05 1/2 है0 को एवं अजय कुमार नामक व्यक्ति भी 0.10 है0 का भूमिस्वामी था, जिनसे अनावेदक कमांक–3 ने उनकी भूमि जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 28.7.2012 द्वारा क्रय कर ली है। अनावेदक कमांक–4 0.01 है0 का तथा आवेदक श्रीमती लौंगश्री 0.06 है0 की भूमिस्वामी है। आवेदिका श्रीमती लौंगश्री ने आराजी कमांक 630 रकवा 0.50 है0 में से छेदीलाल नामक व्यक्ति जिसका हिस्सा मा0 0.09 है0 था में से 0.06 है0 भूमि जर्ये विक्रय पत्र दिनांक 17.6.98 द्वारा क्रय की थी जो जिसे विक्रय के आधार पर अनावेदकगणों को पक्षकार बनाये बिना म0 प्र0 शासन को पक्षकार बनाते हुये नक्शा तरमीम किये जाने का आवेदन पत्र दिनांक 13.01.12 को आवेदिका श्रीमती लौंगश्री द्वारा प्रस्तुत किया जिसके आधार पर प्रकरण दर्ज करते हुये बटांकन आदेश दिनांक 6.11.12 को पारित किया गया है जिसके विरूद्व आवेदिका की ओर से अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी भिण्ड के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अनावेदकगण को सुनवाई करते हुये अंतिम आदेश दिनांक 13.3.14 को पारित किया गया है जिससे दुखित होकर अनावेदकगण द्वारा अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के प्रकरण कमांक 215/अपील/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 28.7.2016 द्वारा अपील स्वीकार की गई । आवेदिका द्वारा इसी से परिवेदित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– आवेदिका के अधिवक्ता का तर्क है कि अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना एवं तहसीलदार भिण्ड का आदेश सर्वथा विधि विधान के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य बताया है, तहसीलदार भिण्ड के द्वारा प्रार्थिनी के द्वारा प्रस्तुत आवेदन के अनुसार कोई कार्यवाही नहीं की गई और बटांकन फर्द मौके की सही स्थिति के अनुसर तैयार ही नहीं की गई एवं बटांकन फर्द ओर बंटाकन तरमीम प्रार्थिनी के समक्ष नहीं बनाई गई मौके पर कोई फर्द बटांकन एवं

नक्शा तरमीम की कार्यवाही नहीं की गई। परीक्षण न्यायालय के समक्ष जो फर्द बटांकन एवं नक्शा तरमीम प्रस्तुत किया गया वह एक पक्षीय रूप से प्रस्तुत किया गया जिस पर प्रार्थिनी को कतई कोई सुनवाई का अवसर ही प्रदान नहीं किया गया और परीक्षण न्यायालय के द्वारा एक पक्षीय रिपोर्ट एवं फर्द बटांकन/तरमीम के आधार पर जो आदेश पारित किया था उसके विरूद्व न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रार्थिनी के द्वारा प्रस्तुत की गई और उक्त अपील में परीक्षण न्यायालय का आदेश निरस्त करने का आदेश सही पारित किया गया था अपर आयुक्त के द्वारा संपूर्ण अभिलेख एवं दस्तावेजी साक्ष्य एवं रिकार्ड के विपरीत जाकर एवं संपूर्ण रिकार्ड आदि का सही अवलोकन न करते हुये अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त करने में गंभीर त्रुटि की है इस कारण अधिनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है। आवेदक अधिवक्ता अपने तर्क में आगे कहा है कि अनावेदकगण ना तो परीक्षण न्यायालय के समक्ष पक्षकार थे और न ही प्रथम अपीलीय कोर्ट के समक्ष पक्षकार रहे है तब उक्त व्यक्तियों को द्वितीय अपील करने का अधिकार ही प्रापत नहीं था। इस बिन्दु पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कोई विचार ही नहीं किया गया। अधिवक्ता का कहना है कि फर्द बटांकन एवं तरमीम की कार्यवाही मौके की स्थिति के विपरीत एवं कब्जे की स्थिति के विपरीत तैयार कर प्रस्तुत की गई थी जिस पर एक पक्षीय रूप से बिना प्रार्थिनी को सुने आदेश पारित किये जाने में कानूनी त्रुटि की थी । अंत में उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना का आदेश निरस्त कर आवेदिका की निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया गया है।

4– अनावेदकगण के अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तथ्य प्रस्तुत किया है कि विचारण न्यायालय में अनावेदकगण को पक्षकार बनाये बगैर प्रश्नगत आदेश उनके सम्मुख पारित न होकर पीठ पीछे पारित किया गया है। आवेदिका को पूर्व दिशा में आराजी कमांक 631 से लगा हुआ रकवा दक्षिण से उत्तर 120 फीट एवं पूर्व से पश्चिम 60 फीट रकवा दिया जाकर उसका बटांकन 630/2 किया जाकर शेष रकबे को 630/1 अनावेदकगण को दिया जावे।

5– उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने तथा प्रकरण में संलग्न अभिलेखों का अध्ययन किया गया तथा उपलब्ध दस्तावेजों का परिशीलन किया गया। विचारण न्यायालय के मूल

अभिलेख में पेश कमांक 38 पर आवेदिका के पक्ष में निष्पादित विकय पत्र की छाया प्रति के पेज 3 पर उल्लेखित तथ्य " उक्त भूमि की लंबाई उत्तर से दक्षिण एक सौ बीस फीट व चौडाई पूर्व से पश्चिम साठ फीट है उक्त विकीत रकवा महावीर से लगा दक्षिण साईड विकय किया गया है जिसके अनुकम में प्रश्नाधीन भूमि का बटवारा न्यायालय तहसीलदार भिण्ड के प्रकरण कमांक 23/97–98/अ–27 में पारित आदेश दिनांक 18.9.2000 से बटवारा आदेश पारित किया गया है। उक्त आदेश में प्रश्नागत भूमि का बटांकन किये जाने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं होने से यह स्पष्ट है कि तदसमय वाद भूमि का बटांकन नहीं किया गया है। आवेदिका की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष नक्शा में बटांकन की कार्यवाही किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसके कम में तहसीलदार न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 6.11.12 से बटांकन आदेश पारित किया गया है जिसके अनुसार सर्वे कमांक 630/1 में पूर्व विकेता एवं अनावेदकगण तथा 630/2 मिन रकवा 0.06 पर आवेदक लोंगश्री का बटांकन बटवारा आदेशानुसार किया गया है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–07–2017 स्थिर रखा जाता है। आवेदिका द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर